योजना एवं विकास विभाग
पत्र प्राप्ति शाखा
पत्र सं०......790.........
दिनांक.......21/1/21

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–26/2015 05 पटना, दिनांकः 13-01-2021

कार्यालय आदेश

श्री संतोष सहाय, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के विरूद्ध जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर के पत्रांक–13(मुख्य) दिनांक–25.08.2015 एवं पत्रांक–643 दिनांक–09.10.2015 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–12 सहपठित ज्ञापांक–82 दिनांक–24.01.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), भोजपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक–2334/रा० दिनांक–30.09.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि भोजपुर जिले में वर्ष 2017 से अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) का पद लगातार रिक्त रहने के करण अपर समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा श्री सहाय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यावाही का संचालन किया गया है। इस विभागीय कार्यवाही को निदेशालय के का०आ०सं०–215 सहपठित ज्ञापांक–1265 दिनांक–15.06.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ख) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

श्री संतोष सहाय के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i) श्री संतोष सहाय, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, डुमरॉव संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर के विरूद्ध डुमरॉव प्रखंड के विभिन्न योजनाओं में 343898.00 रूपये के गबन के आरोप में डुमरॉव थाना कांड संख्या–05/2005 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–स्था०3/नि०4–33/86 खंड–153 दिनांक–27.06.2012 सहपठित ज्ञापांक–1240 दिनांक –27.06.2012 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री सहाय दिनांक–07.09.2009 को जमानत पर छोड़े गये हैं।

(ii) निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–03/ 2015/152 दिनांक–30.06.2015 सहपठित ज्ञापांक–827 दिनांक–30.06.2015 के द्वारा श्री सहाय को प्रखंड कार्यालय, ब्रहमपुर, जिला–बक्सर में पदस्थापित किया गया है। निदेशानुसार इस कार्यालय से ज्ञापांक–437 दिनांक–03.07. 2015 के द्वारा दिनांक–06.07.2015 के अपराह्न से विरमित किये गये हैं। इन्होंने अभी तक अपना प्रभार समर्पित नहीं किया है, तथा सभी महत्वपूर्ण संचिकाएँ इनके आलमीरा में बन्द है। इससे कार्यालय का कार्य एवं महत्वपूर्ण संचिकाओं का निष्पादन पूर्णतः बाधित है।

(iii) का०आ०सं०–01 ज्ञापांक–430 दिनांक–05.08.2013 के द्वारा कार्यालय अवधि के समय का शतप्रतिशत अनुपालन करने हेतु निदेश दिय गया था। श्री संतोष सहाय, कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर में पदस्थापित हैं तथा पटना से कार्यालय आना–जाना करते हैं। प्रायः कार्यालय में विलंब से

0152 स्था०1(का०आ०) (07 जनवरी 2021)

NR

उपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महत्वपूर्ण प्राप्त पत्रों के निष्पादन एवं प्रतिवेदनों के प्रेषण में इनके द्वारा लापरवाही की जाती है तथा पदाधिकारी के आदेश/निदेश का इनके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iv) श्री सहाय, दिनांक–29.08.2014 से दिनांक–07.09.2014 तक, दिनांक–24.11.2014, दिनांक–21.03.2015, दिनांक– 18.04.2015, दिनांक– 06.05.2015 को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इस कारण कार्यालय का महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो गया था। पत्रांक–522 दिनांक–12.02.2014 एवं पत्रांक–185 दिनांक–21.03.2015 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था परन्तु श्री सहाय का कारणपृच्छा कार्यालय को अप्राप्त है।

(v) निदेशालय मुख्यालय, पटना एवं उप निदेशक (सांख्यिकी) पटना प्रमंडल, पटना के निदेशानुसार जीवनांक सांख्यिकी कार्य के निरीक्षण हेतु भ्रमण कार्यक्रम/निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में बार–बार निदेशित किया गया था, परन्तु श्री सहाय, अभी तक इसका अनुपालन नहीं किये हैं। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण पत्रांक–183 दिनांक–20.03.2015 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु जबाव अप्राप्त है।

(vi) निदेशालय मुख्यालय, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में स्वास्थ्य संस्थानों के डाटावेस का लंबित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु श्री सहाय को पत्रांक–391/01.08.2014, पत्रांक–568/30.09.2014, पत्रांक–586/15.10.2014, पत्रांक–110/12.02.2015 द्वारा निदेश दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण पत्रांक–180 दिनांक–18.03.2015 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु जबाब अप्राप्त है ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भोजपुर (आरा) के पत्रांक–1775/रा० दिनांक–03.07.2020 द्वारा श्री सहाय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" कंडिका–1 के आलोक में मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। फैसला आने के उपरांत ही निर्णय यथोचित होगा।

कंडिका–2 के आलोक में आरोपी द्वारा सौंपे गये प्रभार की तिथि एवं इनके विरमित आदेश की तिथि में लगभग 09 माह का अंतर है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा प्रभार देने में उदासीनता बरती गई है। इसलिए यह आरोप प्रमाणित होता है।

कंडिका–3 के आलोक में आरोपी द्वारा स्वंय स्वीकार किया गया है कि वे कार्यालय पटना से आते जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि श्री सहाय प्रायः कार्यालय विलंब से आते हैं जिसके कारण कार्य बाधित होता है। इसलिए यह आरोप प्रमाणित होता है।

कंडिका–4 में गठित आरोप के आलोक में आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं इसके साथ संलग्न साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समय–समय पर आदेशानुसार इनके द्वारा विविध कार्य किया गया है, परन्तु इनके द्वारा कार्यालय स्तर का कौन–कौन सा कार्य संपादित किया गया, कहीं भी उल्लेखित नहीं है। अतः यह आरोप भी प्रमाणित होता है।

कंडिका–5 में गठित आरोप के आलोक में आरोपी द्वारा उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का Receiving नहीं दिया जाता है। अगर ऐसी परंपरा है तो बगैर Receiving का आरोप प्रमाणित करना यथोचित नहीं है।

कंडिका–6 के आलोक में गठित आरोप के संबंध में आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके स्तर से वांछित प्रतिवेदन को For करके अपने हस्ताक्षर से भेजा गया है। चूँकि यह कार्यालय की सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें कार्य की महत्ता को देखते हुए ऐसा किया जाता है। अतः इसमें श्री सहाय के द्वारा कोई गलती प्रतीत नहीं होती है" ।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा द्वारा श्री सहाय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप की कंडिका –2, 3 एवं 4 प्रमाणित होने के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री सहाय से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री सहाय ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

" आरोप की कंडिका–2 :– अमुमन स्थानांतरित कर्मी को प्रभार सौंपने के बाद विरमित किया जाता है। फिर भी वे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) से तत्काल अपना प्रभार उनको सौंप देने की मंशा जताये तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं पत्र से आपको सूचित करूगाँ। ब्रह्मपुर प्रखंड में योगदान के उपरांत वे कई वार प्रभार देने की इच्छा से आवेदन दिये लेकिन न ही कोई कर्मी का जो प्रभार ग्रहण करेगा उसका नाम और न ही प्रभार की तिथि निर्धारित की गयी। जब पत्र द्वारा प्रभार ग्रहण करने वाले पदाधिकारी एवं तिथि निर्धारित कर सूचना दी गयी तो प्रभार तुरंत सौंप दिया गया। इसमें उनके द्वारा कोई विलंब नहीं किया गया और न ही गलत मंशा थी।

आरोप की कंडिका–3 :– वे आरा के महावीर टोला में किराये के मकान में रहते थे । वे कभी–कभी पटना से आया करते थे। वे 7.40 AM को पैसेंजर से 9.15 AM में आरा स्टेशन पहुचते थे और 10 AM को अपने कार्यालय में उपस्थित रहते थे। कार्यालय अवधि 10 AM से शुरू होता है तो विलंब एवं कार्य वाधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रमंडलीय प्रतिवेदन से प्रमाणित होता है कि उनका कोई प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

आरोप की कंडिका–4 :– यह आरोप वस्तुतः SDM, सदर आरा के ज्ञापांक–1298 /गो० दिनांक–24.08.2014 के विधि व्यवस्था के संधारण के विरूद्ध लगाया गया है जिसमें जिला परिषद् के पुराने गोदाम को ताला तोड़कर सभी समानों का Inventory List बनाने से संबंधित है । पत्र प्राप्ति के बाद में उपस्थिति पंजी में Law & Order लिखकर अगले दिन प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान किया तथा अपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचित किया । उनके पदाधिकारी की मंशा एवं मौखिक आदेश था कि आप कार्यालय में रहकर कार्य करें। वे Law & Order First और Priority देते हुए वहाँ कार्य किये तथा प्रतिवेदन बनाकर S.D.M, D.M. एवं D.D.C. कार्यालय में अपना प्रतिवेदन समर्पित किये।

उनके पदाधिकारी द्वारा नाराज होकर उनके इस कार्य के विरूद्ध इसे अनुचित एवं गलत ठहराते हुए उन्हें अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित करार देकर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया और उक्त अवधि का वेतन काट दिया गया। Law & Order में D.M एवं S.D.M. के अधिकार क्षेत्र में कर्मी आता है तो कार्यालय में कैसे कार्य किया जाता। उनके इस कार्य का A.D.M , भोजपुर, आरा द्वारा दिये गये निष्कर्ष में जायज ठहराते हुए संलग्न साक्ष्य के आधार पर आरोप मुक्त करते हुए लिखे कि समय–समय पर दिये गये आदेशानुसार कार्य किया गया है। यह कंडिका–4 के प्रारंभ में अंकित है। उन्हें उच्चाधिकारी के Law & Order के आदेश के अनुपालन न

करने देने को विवश किया गया ताकि वे S.D.M एवं D.M साहब के नजर में गिर जायें और आरोप लगाया जा सके कि वे Law & Order जैसे संवेदनशील मामले में गंभीर नहीं हैं।

4. श्री संतोष सहाय ने अपने अभ्यावेदन में उन्हीं बातों का उल्लेख किया है जो उन्होंने संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने अभ्यावेदन में कहा है। इनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इनके विरूद्ध आरोप अनुशासनहीनता एवं ससमय कार्यो का निष्पादन नहीं करने से संबंधित है जो संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है। अनुशासनहीनता एवं समय से कार्यो का निष्पादन नहीं करना गंभीर मामला है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संतोष सहाय पर उनके पेंशन का 5 % (पाँच प्रतिशत) राशि तीन वर्षो तक के लिए कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संतोष सहाय, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, ब्रहमपुर प्रखंड, बक्सर पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) मे किये गये प्रावधान के तहत उनके पेंशन का 5 % (पाँच प्रतिशत) राशि तीन वर्षो तक के लिए कटौती करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक:– स्था०1/आ०2–26/2015 44 पटना, दिनांक :– 13-01-2021

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. प्रंखड़ विकास पदाधिकारी, ब्रहमपुर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री संतोष सहाय, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, ब्रहमपुर प्रखंड, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

13/01
निदेशक

0152 स्था0 1(फा0 आ0) (07 जनवरी 2021)

परिवाद